प्रेस नोट दिनांक-24.09.2024

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा बोलेरो पिकप बन्द बाडी से 85.220 किलोग्राम अवैध गांजा बरामदगी के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लाग्हें द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध प्रभावी अंकुश लगाने के लिए दिये गये निर्देश में, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष नौगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा बोलेरो पिकअप बन्द बाडी से 85.220 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नौगढ़ पर मु0अ0सं0 93/2024 धारा 8/20/60 NDPS Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 24.09.2024 को थाना नौगढ पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग के दौरान सेमराकुशही से अमृतपुर जाने वाले रास्ते पर चार पहिया बोलेरो पिकअप बन्द बाडी रजि0नं0 DL1LAE4794 का ड्राइबर चेकिंग कर रही पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया लेकिन मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेरा बन्दी करके पकड़ा गया। पिकअप की तलाशी ली गई जिसमे से 03 प्लास्टिक की बोरी मे प्रत्येक बोरी में 09-09 बण्डल अवैध गांजा सभी बण्डल टेप सील कुल 85.220 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ एवं 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की जामा तलाशी से 01 मोबाइल व कुल 650 रूपया नगद बरामद हुआ। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना नौगढ़ पर मु0अ0सं0 93/2024 धारा 8/20/60 NDPS Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

पूछताछ विवरण अभियुक्तगण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण 1. नागेन्द्र कुमार पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम नगलारुंध थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस उ0प्र0 उम्र करीब 32 वर्ष 2.श्रवण कुमार पुत्र जयप्रकाश सिंह खरवार निवासी ग्राम डुमरकोन थाना अघौरा जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 19 वर्ष से पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग बिहार प्रान्त के भभुआ जिले के थाना अधौरा के ग्राम डुमरकोन से कम दामों पर गांजा खरीदते है और उसको लेकर वाहन से अवैध गांजा की तस्करी करके मथुरा/हाथरस ले जाकर बेचते हैं जिससे हमलोगो को ज्यादा फायदा होता है। अपना व अपने परिवार का

जीवन यापन करते हैं। हम लोगो का गिरोह है। हम लोग अपने भौतिक आर्थिक बुनियादी लाभ के लिये ये काम करते हैं।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण–

1.मु0अ0सं0 93/2024 धारा 8/20/60 NDPS Act थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.नागेन्द्र कुमार पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम नगलारुंध थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस (उ0प्र0) उम्र करीब 32 वर्ष

2.श्रवण कुमार पुत्र जयप्रकाश सिंह खरवार निवासी ग्राम डुमरकोन थाना अघौरा जनपद कैमूर भभुआ (बिहार) उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी विवरण–

1-85 किलो 220 ग्राम गांजा 2- 650/ रूपया 3-एक बोलेरो पिकप वाहन सं0 DL1LAE4794 (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तारी /बरामदगी करने वाली टीम -

1.थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी चन्द्रप्रभा थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 अभय कुमार सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

4.हे0का0 अमित कुमार यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

5.का0 शुभम पाण्डेय थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

6.का0 संदीप यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

7.का0 विशाल यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

8.का0 मो0 गुफरान थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय दो शातिर वाहन चोरो को गिरफ्तार किया गया उनके कब्जे से चोरी के 01अपाचे वाहन की गयी बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में मौजूदा थाना प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव मय थाना सैयदराजा पर नियुक्त उ.नि. विजय प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा दिनांक 23.09.2024 को मनराजपुर तिराहे पर पुलिस बैरियर लगाकर सघन चेकिंग दौरान कन्दवा की तरफ से एक मो.साइकिल तेज गति से आते दिखाई दिया। चेकिंग कर रही पुलिस टीम को देखकर अचानक पीछें मुडकर भागने का प्रयास किया किन्तु मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है। जिसे बेचने हेतु चन्दौली लाये थे।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 0169/2024 धारा 303/317 बीएनएस थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-1.प्रिंस कुमार पुत्र फौजदार सिंह निवासी ग्राम धनसराय थाना दुर्गावती जनपद भभुआ कैमूर बिहार उम्र करीब 22 वर्ष। 2..धीरज गुप्ता पुत्र शम्भूनाथ गुप्ता निवासी ग्राम कुड़ारी थाना दुर्गावती जनपद भभुआ कैमूर बिहार उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- एक टीवीसी अपाचे वाहन बिना नम्बर, दो एण्ड्रायड मोबाइल सैमसंग कम्पनी व टेक्नो स्पार्क कम्पनी व 300 रुपया नगदी

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1. कार्यवाहक थाना प्रभारी उ0नि0 दिलीप श्रीवास्तव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 विजय प्रताप सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
3. हे0का0 गोविन्द सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
4. का0 अजीत मिश्रा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
5. का0 अजय पटेल थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक-24.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोषश्रेष्ठ (अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 04 अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी।

थाना चकरघट्टा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 19.11.2013 को धारा 302,34,201,404,394,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मुराली पुत्र रामधनी निवासी केसार थाना चकरघट्टा चन्दौली 2.बद्री सिंह पटेल पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह पटेल सीवो भभुआ बिहार 3.रमायन बिन्द पुत्र झकरी निवासी सोवो भभुआ बिहार 4.ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू पुत्र शंकर राजभर निवासी रतनपुर थाना सकलडीहा चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 42/2013 धारा 302,34,201,404,394,411 भादवि थाना चकरघट्टा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री रमाकान्त उपाध्याय (एसपीपी) व थाना चकरघट्टा के पैरोकार मुख्य आरक्षी आनन्द कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-24.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री पारितोषश्रेष्ठ(अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 जनपद चन्दौली) द्वारा 04 अभियुक्तों 1.मुराली पुत्र

रामधनी निवासी केसार थाना चकरघट्टा चन्दौली को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु0 के जुर्माना से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

2.बद्री सिंह पटेल पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह पटेल सीवो भभुआ बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड़ न अदा करनें पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

3.रमायन बिन्द पुत्र झकरी निवासी सोवो भभुआ बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

4.ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू पुत्र शंकर राजभर निवासी रतनपुर थाना सकलडीहा चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-24.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 01.09.2006 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सेठी चौहान पुत्र स्व0 मंशा चौहान निवासी चन्धासी थाना मुगलसराय चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 262/2006 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री मनीष कुमार (एसपीओ),श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-24.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.सेठी चौहान पुत्र स्व0 मंशा चौहान निवासी चन्धासी थाना मुगलसराय चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट-दिनांकः 24.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 24.09.2024 को कुल 166 वाहनों का चालान करते हुए 1,81,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 166 वाहनों का चालान करते हुए 1,81,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया। साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों

को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्लघन का प्रकार चालान की संख्या

1. मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-04
2. बिना हेलमेट-42
3. नो पार्किंग-81
4. बिना इंश्योरेंस-05
5. गलत नंबर प्लेट-01
6. यातायात नियमों का उलंघन-25
7. बिना फिटनेस-04
8. बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना-01
9. अन्य-03

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 24.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-166

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-1,81,000 /- रूपयें।

प्रेस नोट दिनांक-24.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू0डि0/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 17.01.2004 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राधे पुत्र शोभनाथ बिन्द निवासी कवई पहाडपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 09/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार सरोज की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-24.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू0डि0/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.राधे पुत्र शोभनाथ बिन्द निवासी कवई पहाडपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-24.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू0डि0/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 08.01.2003 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मुन्नू प्रसाद गोड पुत्र डोमन गोड निवासी मोकलपुर थाना चौबेपुर जिला वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 08/2003 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-24.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू0डि0/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.मुन्नु प्रसाद गोड़ पुत्र डोमन गोड निवासी मोकलपुर थाना चौबेपुर जिला वाराणसी को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

प्रेस नोट दिनांक-24.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोषश्रेष्ठ (अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना चकरघट्टा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 18.12.2013 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रमायन बिन्द पुत्र झकरी बिन्द निवासी सीवाँ थाना भभुआ कैमुर बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 44/2013 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकरघट्टा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री रमाकान्त उपाध्याय (एसपीपी) व थाना चकरघट्टा के पैरोकार मुख्य आरक्षी आनन्द कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-24.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री पारितोषश्रेष्ठ(अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.रमायन बिन्द पुत्र झकरी बिन्द निवासी सीवाँ थाना भभुआ कैमुर बिहार को 01 वर्ष का कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक- 24.09.2024

जनपद चन्दौली

जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 16 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 24.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 16 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।